न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/213/2017

अपीलार्थी
श्री अजय गुप्ता
निवासी–273–A–ब्लॉक, सेक्टर–9
हिरणमगरी, उदयपुर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **24.01.18**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 07.11.17 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर काश्तकार शान्तिदेवी स्त्री कल्याणसहाय मिश्रा को किए गए भूमि आवंटन संबंधी 03 बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 07.11.17 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2017/1316–17 दिनांकः 19.12.17 के माध्यम तलब कर दिनांकः 04.01.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जरिये पत्रांकः 422 दिनांकः 16.01.2018 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अवगत कराया गया कि "अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि0 07.11.17 में वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार राजगढ से जानकारी प्राप्त कर जरिये पत्रांकः 1142 दिनांकः 11.12.17 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं यह भी अंकन किया है कि आवेदक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

द्वारा मात्र वर्तमान खाता सं. अंकित कर पिछले रिकॉर्डों की जानकारी चाही गई जो विशेष निरीक्षण के उपरान्त ही संभव है।''

8.. अस्तु उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा सूचना का स्पष्ट चिन्हिकरण नहीं किये जाने एवं अपूर्ण जानकारी विवरण लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के कारण अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है किन्तु लोकहित में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक उक्त के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पूर्ण विवरण एवं सूचना का स्पष्ट चिन्हिकरण कर देता है तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करा दी जावे। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कर सूचना संबंधी दस्तावेजों का चिन्हिकरण कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

9. अपील का उक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)